Radha 10000/97

रजिस्टर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

डी० डी० ए० शापिंग कम-वाफिस कम्पलेक्स,
राजेन्द्रा पेलेस नई दिल्ली

संख्या 11-38594-101/ZONE-4/97 दिनांक 04/12/97

सेवा में,

मैसर्स PAWAN SECURITY SERVICE (REGD.)
N-175, VISHNU GARDEN,
NEW DELHI -110018

विषय :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (यथासंशोधित) की धारा 2 (12)/1 (5) के अन्तर्गत कर्मचारियों तथा फैक्टरियों/स्थापनाओं का पंजीकरण।

प्रिय महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अधिसूचना सं० एस० एफ०-12(36) दिनांक 1-2-52 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली (क्षेत्र) के अन्तर्गत अधिनियम के अधीन शामिल सभी फैक्टरियों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबन्धों को लागू किया गया है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त सरकार ने अधिनियम के उपबधों का विस्तार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (5) के अधीन अन्य स्थापनाओं पर नीचे उल्लिखित तारीख से किया हैं।

स्थापनाओं का विवरण		अधिसूचना संख्या तथा तारीख	क० रा० बीमा (एसिक) योजना के विस्तार की तारीख
1	पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन कोई परिसर (उसके उप-क्षेत्रों सहित) जहां दस अथवा इससे अधिक लेकिन किसी भीं दशा में 20 से कम व्यक्ति नियोजित है अथवा नियोजित थे तथा उसके किसी भी भाग में विद्युत शक्ति की सहायता से असाधारण तया विनिर्माण प्रक्रिया चल रही हैं।	एफ-27(2)/75-लैब 28-3-75	29-3-75
2	पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी कोई व्यक्ति परिसर में नियोजित है अथवा नियोजित था तथा उसके किसी भाग में विद्युत शक्ति की सहायता से असाधारणतया विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही है।	-वही-	-वही-
3	निम्नलिखित स्थापनाएं जहां पिछले 12 महीनों के दौरान किसी तारीख को 20 अथवा उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा नियोजित थे जैसे : 1) होटल 2) रेस्तरां 3) पूर्व दर्शन थियेटर सहित सिनेमा 4) सड़क मोटर परिवहन 5) समाचार पत्र परिवहन 6) दुकानें	-वही-	-वही-
		एफ-27(2)/74 लैब दिनांक 26-3-76	28-3-76
		एफ-28(20)/88/आई.एम.पी.लैब दिनांक 30-9-88	2-10-88

अधिनियम की धारा 2 (क) के अधीन ऐसी किसी फैक्टरी/स्थापना को अधिनियम के अधीन पंजीकृत कराना आवश्यक है जहा उसके अध्याय 4 के अनुसार मुख्य नियोजक की यह जिम्मेदारी है की वह अपने कर्मचारियों को योजना में शामिल कराए तथा अधिनियम के अधीन उनके सम्बन्ध में अंशदान की अदायगी करें।